संख्या-71/2017/1285(2)/छप्पन-2017-36/16

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

नागरिक उड्डयन,

उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 19 सितम्बर, 2017

विषय: बेल 412 इपी हेलीकाप्टर पर सिंगापुर में श्री रूपेश कुमार सक्सेना, हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियन्ता को 412 Field Maintenance B1.3 प्रशिक्षण कराए जाने के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3038/ना0उ0वि0/ईजी0/एफ-2/2017, दिनांक 29 अगस्त, 2017 में किये गये प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नये क्रय किए गए हेलीकाप्टर बेल 412 ईपी पर श्री रूपेश कुमार सक्सेना, हेलीकॉप्टर अनुरक्षण अभियन्ता को दिनांक 01 अक्टूबर, 2017 से 28 अक्टूबर, 2017 तक (यात्रा दिवसों को सम्मिलित करते हुए) निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग अकादमी बी0टी0ए0 (बेल ट्रेनिंग एकेडमी) सिंगापुर में प्रशिक्षण दिया जाना है। निर्माता कम्पनी द्वारा 412 Field Maintenance B1.3 प्रशिक्षण नि:शुल्क दिया जाना है तथा अभियन्ता के विदेश यात्रा व्यय यथा लखनऊ से सिंगापुर तक आने एवं जाने के लिए वायुयान "इकोनॉमी श्रेणी" का किराया रूपये 68776/-, दैनिक भत्ता रूपये 1,42,800/-, यात्रा भत्ता एवं होटल किराया रूपये 1,99,920/- के रूप में कुल रूपये 4,11,496/- (रूपए चार लाख ग्यारह हजार चार सौ छियानबे मात्र) का व्यय निहित है। अत: राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में श्री रूपेश कुमार सक्सेना, हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियन्ता को दिनांक 02.10.2017 से दिनांक 27.10.2017 तक निर्माता कम्पनी की ट्रेनिंग अकादमी बी0टी0ए0 (बेल ट्रेनिंग एकेडमी) सिंगापुर में नि:शुल्क प्रशिक्षण दिए जाने हेतु विदेश यात्रा के लिए कुल रूपये 4,11,496/-, (रूपये चार लाख ग्यारह हजार चार सौ छियानबे मात्र) के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि रू0 4,11,496/- (रूपये चार लाख ग्यारह हजार चार सौ छियानबे मात्र) का अग्रिम आहरण/अग्रिम भुगतान वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15(1)/69, दिनांक 25-10-1983 एवं ए-1-235/दस-2011-15(1)/69, दिनांक 10-06-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

3- प्रशिक्षण हेतु विदेश यात्रा से पूर्व प्रशिक्षु अभियंता से नियमानुसार बॉण्ड पत्र निष्पादित कराया जायेगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्त स्वीकृत अग्रिम के समायोजन की सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध कराई जाएगी।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख-रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10 जून, 2011 के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0-71/2017/1285(3)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35वी-। विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2, वित्त (लेखा) अनुभाग-1
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6. सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।
7. सम्बन्धित अभियन्तागण।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।